



छात्रावास आवंटन के नियमों की सूची



1. छात्र के निवास स्थान की दूरी महाविद्यालय से न्यूनतम 10 किलोमीटर होना अनिवार्य है। छात्राओं के निवास स्थान की दूरी महाविद्यालय से न्यूनतम 5 किलोमीटर होना अनिवार्य है।
2. आवेदक महाविद्यालय में नियमित रूप से नामांकित एवं अध्ययनरत होना चाहिए।
3. छात्र-छात्रा का आचरण, उपस्थिति एवं शैक्षणिक स्थिति संतोषजनक होना आवश्यक है।
4. निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा:
 - a. आवास प्रमाण पत्र
 - b. पहचान पत्र/आधार कार्ड की प्रति।
 - c. नामांकन रसीद।
 - d. हाल की दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो
5. छात्रावास शुल्क 1800₹ (एक हजार आठ सौ रुपये मात्र) प्रति 6 माह निर्धारित है। जिसे अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।
6. छात्रावास आवंटन अस्थायी (Provisional) होगा तथा नियमों के उल्लंघन, अनुशासनहीनता अथवा प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया जा सकेगा।
7. यदि कोई छात्र-छात्रा लगातार 2 (दो) माह तक छात्रावास में निवास नहीं करता/करती है अथवा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता/रहती है, तो उसका छात्रावास आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रधानाचार्य

अनुशासनाधिकारी

छात्रावास अधीक्षक

शिव देनीसाव महाविद्यालय, कलेर

शिव देनीसाव महाविद्यालय, कलेर

शिव देनीसाव महाविद्यालय, कलेर



छात्रावास में निवास के नियमों की सूची

1. सभी विद्यार्थियों के लिए निर्धारित समय पर अपनी-अपनी कक्षाओं में उपस्थित होकर पढ़ाई करना अनिवार्य है। एवं क्लास के समय कोई भी विद्यार्थी अपने कमरे में नहीं रहेगा; सभी को कक्षा में उपस्थित रहना होगा।
2. छात्रावास परिसर में शराब, तम्बाकू, ड्रम्स अथवा किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करना तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक सामग्री रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
3. किसी भी प्रकार की मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग, धमकी, झगड़ा या अन्य अनुशासनात्मक आचरण करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4. छात्रावास में हीटर, रॉड, इंडक्शन चूल्हा, ब्लोअर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के उच्च विद्युत उपकरणों का प्रयोग सख्त वर्जित है।
5. छात्रावास परिसर में राजनीतिक गतिविधियाँ, बाहरी संगठनों की बैठकें अथवा किसी भी प्रकार की अनधिकृत सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
6. ग्रीष्म ऋतु (Summer Season) में सभी छात्रों को शायं 7:00 बजे तक तथा शीत ऋतु (Winter Season) में 5:30 बजे तक खेल मैदान एवं बाजार से वापस छात्रावास में आ जाना अनिवार्य है।
7. रात्रि में छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में अधीक्षक की पूर्व स्वीकृति से ही प्रदान की जाएगी।
8. छात्रावास में केवल गैस स्टोव के माध्यम से भोजन बनाने की अनुमति है। अन्य किसी भी माध्यम से भोजन बनाना निषिद्ध है।
9. महाविद्यालय एवं छात्रावास की संपत्ति (जैसे पंखा, कुर्सी, मेज, बेड आदि) को क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा संबंधित छात्र से क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी।
10. बाहरी व्यक्तियों/मेहमानों को छात्रावास परिसर में रात्रि-विश्राम अथवा ठहरने की अनुमति नहीं है।
11. प्रत्येक छात्र को अपने कक्ष उसके आसपास के क्षेत्र तथा अपने निजी उपयोग के प्रसाधनकक्ष एवं चीजों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके लिए हरेक पखवारे में एकदिन स्नान से पूर्व श्रमदान होगा।
12. परीक्षा फार्म भरने के पूर्व एवं छात्रावास छोड़ने से पूर्व अधीक्षक से लिखित अनुमति लेना तथा "नो ड्यूज" प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण चेतावनी: यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित छात्र/छात्रा के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छात्रावास एवं महाविद्यालय से निष्कासन भी सम्मिलित हो सकता है।

प्रधानाचार्य
शिव देनीसाव महाविद्यालय, कलेर

अनुशासनात्मक अधिकारी
शिव देनीसाव महाविद्यालय, कलेर

छात्रावास अधीक्षक
शिव देनीसाव महाविद्यालय, कलेर



गंगा महिला छात्रावास

शिव देनीसाव महाविद्यालय ,कलेर ,अरवल (बिहार)



दिनांक..... :

छात्रावास अनापत्ति /नोड्यूज प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
पिता श्री ,पाठ्यक्रम
परीक्षा अनुक्रमांक.....,नामांकन संख्या , सत्र तक गंगा
महिला छात्रावास से संबंधित सभी देय शुल्क विधिवत जमा कर चुके हैं। छात्रावास की ओर से इनके विरुद्ध
कोई भी बकाया शेष नहीं है। अतः इन्हें छात्रावास की ओर से "नोड्यूज "प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

छात्रावास अधीक्षक,
गंगा महिला छात्रावास
शिव देनीसाव महाविद्यालय ,कलेर
अरवल (बिहार)



सोन छात्रावास

शिव देनीसाव महाविद्यालय ,कलेर ,अरवल (बिहार)



दिनांक..... :

छात्रावास अनापत्ति /नोड्यूज प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
पिता श्री ,पाठ्यक्रम
परीक्षा अनुक्रमांक.....,नामांकन संख्या ,सत्र तक सोन
छात्रावास से संबंधित सभी देय शुल्क विधिवत जमा कर चुके हैं। छात्रावास की ओर से इनके विरुद्ध कोई भी
बकाया शेष नहीं है। अतः इन्हें छात्रावास की ओर से "नोड्यूज" प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

छात्रावास अधीक्षक,
सोन छात्रावास
शिव देनीसाव महाविद्यालय ,कलेर
अरवल (बिहार)